



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50138

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 864 वर्ष 2026

उमा शंकर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 10 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: अशोक कुमार यादव, विनय कुमार यादव
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित राहत हेतु दाखिल की गई है :

“(ए) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश निर्गत किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2/सेटलमेंट ऑफिसर चकबंदी, जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि वे अपील संख्या 1091, संगणकीकृत वाद संख्या 202554143600001091 (इन्द्रजीत बनाम दसई), जो कि उत्तर प्रदेश चकबंदी एवं जोत संधारण अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत लंबित है, का निर्धारित समयावधि के भीतर निस्तारण करें।”
- यह निवेदन किया गया कि उपर्युक्त प्रकरण पर्याप्त अवधि से विचाराधीन है, तथापि उसके शीघ्र निस्तारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि यदि उपर्युक्त प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश निर्गत किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
- उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, इस वाद को लंबित रखे जाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः यह न्यायालय, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि प्रत्यर्थी संख्या 2/सेटलमेंट ऑफिसर चकबंदी, जौनपुर, जिसके समक्ष उपर्युक्त प्रकरण लंबित है, यदि कोई विधिक बाधा न हो, तो उसका विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिमानत: इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर निस्तारण करें।

6. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

दिनांक : 11 मार्च, 2026

विनय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।